



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43453-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या - 3775/2026

सतानंद उर्फ बबलू

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : महेंद्र त्रिपाठी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रत्नेन्दु कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री रत्नेन्दु कुमार सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रारंभ में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कटघरे में यह कथन दिया है कि वे इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त कथन के मद्देनजर यह रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।